अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 20/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ.) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परियोजना आयात विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2016 है ।

(2) ये 1 मार्च, 2016 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परियोजना आयात विनियम, 1986 की सारणी में, क्रम सं0 3ज के सामने में की प्रविष्टि में शीर्ष, "संयंत्र या परियोजना का नाम" के अधीन "शीतागार, शीत कक्ष (जिसके अन्तर्गत कृषि स्तरीय पूर्व प्रशीतन भी हैं)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "शीतागार श्रृंखला, जिसके अन्तर्गत शीतागार, शीत कक्ष (जिसके अन्तर्गत कृषि स्तरीय पूर्व प्रशीतन भी हैं), शीतागार श्रृंखला जिसके अंतर्गत पूर्व प्रशीतन इकाई, पैक हाउस, छंटाई और श्रेणीकरण लाइन और पक्वन कक्ष भी हैं" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 230/86-सीमाशुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 1986, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सं. सा.का.नि. 580(अ) तारीख 3 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 25/2014-सीमाशुल्क, 11 जुलाई, 2014, सा.का. नि. सं. 472(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।